

पत्रांक 15/स्पृ । - १६। १३१० - २०४५
मानव संसाधन विकास विभाग, विहार

प्रेसक,

जोधपीठ सिंह
निदेशक (डिप्प विभाग)

देवा में

गुलामियान
विहार के सभी विश्वविद्यालयों

पटना, दिनांक ३.१. 2010

विषय : विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में बी०ए० कोर्स प्रारंभ करने के संबंध में।

महाराज,

चुप्पर्दुका विषय के रायमें मैं अविवाकरण हूँ कि विभाग ने इस बात की आवश्यकता पहचून की है कि सच्चा की अधिक से अधिक विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में बी०ए० कोर्स की पढाई कराई जाए। बी०ए० कोर्स की पढाई के लिए राज्यान्/मान्यता एन०सीएटी०ड० (मुख्यमन्त्री) द्वारा की जानी होती है। मान्यता के लिए अन्य अहताओं के साथ आवेदन शुल्क, निरीक्षण शुल्क, एन्ड्राफैट की राशि एवं संबद्धता की राशि की आवश्यकता होती है। इसके लिए विश्वविद्यालय महाविद्यालयों की सहायता करें पर्यंत विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय इस कार्ये हेतु अपने अंतरिक्ष श्रोतों का भी साथीय कर दाकरी है।

विश्वविद्यालय/
(जोधपीठ सिंह)
निदेशक (डिप्प विभाग)

बिहार सरकार
पानव राराधन विकास विभाग

राज्य

विषय : अंगीमूल महाविद्यालयों में B.Ed. प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के रविध में।

गुणवत्ताकृत राज्यीय शिक्षा भवन के लिये आवश्यक है। राज्यीय राज्यीय शिक्षा को सार्वभौमिक एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने हेतु सभी इतरों (प्रारंभिक, सेकन्डरी एवं शीनियर सेकन्डरी) एवं पूरी तारह प्रयत्नशील है। राज्य में राज्यीय संरचना पर्याप्त रूप से रामूँझ की जा चुकी है, अब इमारा राज्य-शिक्षक अनुपात साफ्टीय औसत से बहतर हो चुका है। राज्य के सभी बच्चों के लिये, किठीमीठ के अंदर प्रारंभिक तथा ३ किठीमीठ के अंदर प्रारंभिक राज्यीय की उपलब्धता सुनिश्चित की जा चुकी है।

गुणवत्तापूर्ण राज्यीय शिक्षा के लिये व्यापक राज्य में युणिवर्सिटी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों के होना भी आवश्यक है। N.C.T.A. से पायदा प्राप्त हमारे राज्य में 57 सेकन्डरी अध्यापक प्रशिक्षण (B.Ed. प्रशिक्षण) संस्थान हैं जो प्रारंभिक अध्यापक प्रशिक्षण (D.Ed. प्रशिक्षण) संस्थानों की सम्मानीय ३० हैं। वर्ष भर में लगभग ५५०० छात्र-छात्राएँ सेकन्डरी अध्यापक प्रशिक्षण (B.Ed.) संस्था लगभग ३००० छात्र-छात्राएँ प्रारंभिक अध्यापक प्रशिक्षण (D.Ed.) की लियी/नियुक्तीमा पाप्त कर सकते हैं। बिहार जैसे जी बारोड़ आवादी बाले राज्य के लिये यह बास्तव अपर्याप्त है। वेश के कई छोटे राज्यों में पर्ति वर्ष हमरो कही गुणी अधिक प्रारंभिक अध्यापक तैयार किये जा रहे हैं।

हमारे जनिकाल सेपान्डरी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान नियी क्षेत्र के हैं। महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों से परिवर्त निकलने वाले इन्हें राज्यीय एवं राज्यकोरार लियी प्राप्त छात्र-छात्राओं का यात्रा विषय वाला दुष्कृती यन्म गया है। हमारे अंगीमूल महाविद्यालयों में अध्यापक-प्रशिक्षण की लिया जाई के बलात है। अध्यापक-प्रशिक्षण जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में हमारे हम जानी जानी वालों को पहले कदमी करनी पड़ेगी, तभी हम पर्याप्त संख्या में छात्र-छात्राओं को लियी लिया के लिये तैयार कर पायेंगे।

राज्य सरकार ने १९८८ वर्ष २० दिनों शिक्षकों की नियुक्ति की है और यह शिलसिला हासिलार जाई है। यहां भी १९८८ वर्षों में आमाकन जी भारी मौँग हि तथा लखरत भी। अत वैसे अंगीमूल महाविद्यालय जिनके पास शिक्षा/अध्यापक शिक्षा के विभाग शोलने के लिये N.C.T.A. के योग्यताओं के अनुरूप भवन उपलब्ध है या उपलब्धता उपलब्ध की जा राखी है, ताकि यह के पाठ्यक्रमों को रच-वित्त पौरित रैखिक

20/01/1988
COLLEGE
MADHUBANI

COLLEGE
MADHUBANI

के तहत शुरू करने की दिशा में काम बढ़ाने के लिये अपील की जाती है। गवर्न के साथ-साथ आवश्यकतानुसार पर्सोनल, पर्सोनलालाई, पुस्तकालय तथा कुछ अन्य सुविधाओं को सुनिश्चित करने का प्रयास भी जारी है। एक अंगीभूत महाविद्यालय में अध्यापन कार्य के लिए छात्र शिक्षकों की वापरणका होगी और संबंधित प्राचार्य कोऑर्डिनेटर की हैरियत रो काम कर सकते हैं। NCC द्वारा निश्चित पासदंडों को ध्यान में रखकर व्याख्याता पदों के लिए योग्य व्यक्तियों का ऐनल तैयार करने की जिम्मेदारी संबंधित कुलपति एवं संबंधित प्राचार्य/कोऑर्डिनेटर की होगी।

मानव संसाधन विभाग जनके प्रयारों को साकार रूप देने के लिये संकलिप्त एवं प्रयाशरत है। इच्छुक अंगीभूत महाविद्यालयों ने राजकार ईर्टर्न रिजनल कमिटी (ERC), भुवनेश्वर से स्वीकृति प्रदान कराने में गियमानुसार कदम उठायेगी। इन महाविद्यालयों के प्राचार्यों से अपील है कि वे NCTE के Website (www.nete-india.org) पर उपलब्ध सूचनाओं का अध्ययन कर तथा अपने परम को लाइनलोड कर, स्वीकृति प्राप्त करने की दिशा में जल्द से जल्द कदम उठायें। सारकार अपेक्षित सहयोग देने के लिए तत्पर है। B.Ed. का एक मानक Syllabus शिक्षा के पारा उपलब्ध है। B.Ed. प्रशिक्षण प्रारम्भ करने वाले हमाम महाविद्यालयों को राज्यानुसार पात्रवत्तम लघलबा करा दिया जायगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

60/-
(जो ० पी० सिंह)
निदेशक (उ०शि०)
मानव संसाधन विकास विभाग

झापांक-15/एम1-181/10

प्रतिलिपि-अधीक्षक, संचितालय, मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को आगामी बिहार राज्य पत्र में प्रकाशन हेतु अपराधित।


पटना, दिनांक-

(जो ० पी० सिंह)
निदेशक (उ०शि०)
मानव संसाधन विकास विभाग

4. 1. 2016 Inspection Fee

1. 1. 2016 - 1. 1. 2017 - 1. 1. 2018

1. 1. 2019 - 1. 1. 2020 - 1. 1. 2021
1. 1. 2022 - 1. 1. 2023 - 1. 1. 2024



2. 1. 2016